5130

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983408

विक्रय पत्र अंकन 45,85,464/-रूपये का :-

स्टाम्प अंकन 4,58,600/-रूपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण- कृषि भूमि रकबई 1.581 एकड़ आर्थात 0.640 हैक्टेयर स्थित ग्राम डूंडा हैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) जिसे आगे चलकर विक्रय कृषि भूमि कहा गया है । जो कि विक्रय है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि लगान रसदी 23/-रूपये 25 पैसे सालाना है जो कि कृषि भूमि है न कृषि

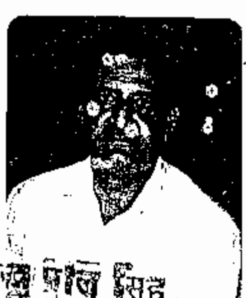

विरेन्द्र पाल सिंह
एडवोकेट

क्रम सं. 13 ... रु. 8500
स्टाम्प नं0 ......में शामिल किया

19 OCT 2004

रोकड़िया कोषागार गाजियाबाद

Sarv Sanjhi Constructions PVT Ltd. N. Delhi

बैनामा 45,85,464/-

4586000/-

रजि0 शुल्क 500 ... प्रति लिपि शुल्क 20 योग 520 शुद्ध लगाये
श्री घनानन्द वशिष्ठ
पुत्र श्री टेक राम वशिष्ठ
निवासी B-47 कनाट प्लेस नई दिल्ली
ने यह लेख पत्र ... गाजियाबाद में
आज दिनांक 19/10/04 ... 4-45 बजे
प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
19.10.04

इस लेखपत्र का निष्पादन एवं इसमें लिखे जरेसमन
रुपये मु0 Rs. 45,85,464/-
जिसमें से ... जगदीश S/o बाबूराम व गौरव व सौरव
पूर्व/... SS/o सुभाष चन्द व श्रीमती निर्मला देवी W/o सुभाषचन्द
पुत्र श्री नि0 ... रविन्द्र व राजेश्वर S/o बाबूराम नि0 ...
... व श्रीमती गुलाम देवी W/o ... भूषण
ने द केवा ... R/o ... मतीवारा ...
श्री ... घनानन्द वशिष्ठ उपरोक्त
पुत्र श्री
निवासी
ने स्वीकार किया।

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

कार्यालय कोषाधिकारी

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983409

हेतु क्रेता को विक्रय है । मेनरोड के मध्य बिन्दु से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । सरकारी कृषि भूमि दर 9,60,000/-रूपये प्रति एकड है, जबकि स्टाम्प इससे अधिक के हिसाब से विक्रय कृषि भूमि की बनी कीमत उपरोक्त पर नियमानुसार अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अदा है । बैनामा में नक्शा नजरी संलग्न है ।

सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

क्रमं सं...77...रू. 8200
स्टाम्प नं0...172...में शामिल किया

19 OCT 2004

रोकड़िया कोषागार गाजियाबाद

जिनकी पहचान श्री ओमप्रकाश
पुत्र श्री धर्म सिंह
निवासी खेजा जलालपुर तह० दादरी
व श्री प्रताप सिंह
पुत्र श्री रामेश्वर दयाल
निवासी 583-ए गोविन्द पुरम गाजि०
ने की है।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
गाजियाबाद 19.10.04

उपरोक्त साक्षी व/व ... निवासी अंगूठा नियमानुसार लिये गये जो देखने में ... प्रतीत होते हैं।

सब रजिस्ट्रार
19.10.04

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983410

हम कि श्री जगदीश पुत्र श्री बाबू राम व गौरव व सौरभ (दोनो बालिगान) पुत्रगण स्व श्री सुभाष चन्द व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द बजात खुद व माता हकीकी व संरक्षिका ओर से अभिलाष नाबालिग पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द निवासीगण ग्राम ढूंडा हैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद व राजेश्वर पुत्र श्री बाबू राम निवासी ग्राम भनेडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद व श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री इन्दु भूषण निवासी मकान नम्बर-10 मालीवाडा चौक, गाजियाबाद प्रथमपक्ष विक्रेतागण । जिन्हे आगे चलकर विक्रेतागण कहा गया है ।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

गाज़ियाबाद

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983411

एवं मैसर्स सर्व सौंझी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा श्री धर्नानन्द वशिष्ठ पुत्र श्री टेकराम वशिष्ठ अथोराईज्ड सिगनेट्री कम्पनी उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता । जिन्हे आगे चलकर क्रेता कहा गया है ।

इस वैनामें में विक्रेतागण व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जावेगें ।

4

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 983412

कार्यालय ...

13 OCT 2004

... कोषाधिकारी

विदित हो कि कृषि भूमि रकबई 1.581 एकड़ अर्थात 0.640 हैक्टेयर सम्बंधित खाता खतौनी नम्बर-1657 खसरा नम्बर-1037/1 रकबई 3-9-17 पुख्ता अर्थात 0.884 हैक्टेयर, लगानी 28/-रुपये 75 पैसे सालाना का 1/2 भाग रकबई 0.442 हैक्टेयर खाता खतौनी नम्बर-1497 खसरा नम्बर-1036/4 मि0 रकबई 0-3-6 पुख्ता अर्थात 0.042 हैक्टेयर, लगानी 50 पैसे सालाना का 1/4 भाग रकबई 0.0105 हैक्टेयर व खाता खतौनी नम्बर-1656 खसरा नम्बर-1038/2 रकबई 2-19-6 पुख्ता

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

कार्यालय ... गाजियाबाद

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983413

अर्थात 0.750 हैक्टेयर, लगानी 16/-रूपये 20 पैसे सालाना का 1/4 भाग रकबई 0.1875 हैक्टेयर इस प्रकार कुल भूमि रकबई 0.640 हैक्टेयर स्थित ग्राम डूंडा हैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के प्रथमपक्ष विक्रेतागण मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर भू:स्वामी है । उक्त वर्णित विक्रय भूमि को विक्रेता जगदीश, राजेश्वर, श्रीमती गुलाब देवी ने श्री सुभाष चन्द के साथ मिलकर उनके जीवनकाल में विक्रय पत्र दिनांक 08-04-2002 को जिसकी पंजीकृत बही नम्बर-1 जिल्द 5051 के पृष्ट 173/177 में

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983414

नम्बर-1590 पर दिनांक 08-04-2004 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है, खरीद किया । श्री सुभाष चन्द स्वर्ग सिधार गये । स्व0 श्री सुभाष चन्द के गौरव व सौरव बालिगान व अभिलाष नाबालिग पुत्रगण व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी व जायज उत्तराधिकारी एवं वारिस है । इनके अलावा स्व0 श्री सुभाष चन्द का अन्य कोई उत्तराधिकारी एवं वारिस नही है । उक्त वर्णित विक्रय भूमि क्षेत्रफल 0.640 हैक्टेयर आज दिन तक विक्रेतागण की ओर से हर

कार्यालय कोषागार
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983415

[illegible]र के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य लौन आदि आदि से मुक्त है, कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबे, महावदाबय आदि आदि में ग्रस्त नही हैं । मिलकियत विक्रेतागण में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नही है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है ।

हम सर्वश्री जगदीश , राजेश्वर, गौरव व सौरव व श्रीमती गुलाब देवी को स्वयं व मुझ श्रीमती निर्मला देवी को स्वयं व अपने नाबालिग पुत्र अभिलाष की ओर से बहैसियत वलि व संरक्षिका व माता हकीकी

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

सत्यमेव जयते

कार्यालय

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983416

की हैसियत से विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है । एवं इस बैनामें का अपने नाबालिग पुत्र के हितो को दृष्टिगत रखते हुऐ निस्तारण किया गया है । अत: हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो के साथ बिना किसी डर दबाव व बहकाव के प्रभावित होते हुऐ मये तमाम हक हकूक मालिकान दाखिले खारिजे हर किसम मये कब्जा आदि आदि को मये हक काश्त व स्वयं प्राप्त सभी

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हज़ार रुपये

कार्यालय कोष...

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983417

अधिकारों सहित आज की तारीख में बदले अंकन 45,85,464/-रूपये (पैंतालिस लाख पिचासी हजार चार सौ चौसठ रूपये) आधे जिसके अंकन 22,92,732/-रूपये (बाईस लाख बानवे हजार सात सौ बत्तीस रूपये) होते हैं, मैं बहक द्वितीयपक्ष क्रेता उपरोक्त का विक्रय कर दिया है और बेच दिया है तथा कुल विक्रय धनराशि 45,85,464/-रूपये की पचास प्रतिशत धनराशि अंकन 22,92,732/-रूपये बवक्त बैनामा

कार्यालय ... कोषागार
गाज़ियाबाद
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983418

निम्नवत सात बैंक ड्राफट द्वारा प्राप्त कर ली है, जिसका विवरण इस

प्रकार है । निम्न सात बैंक ड्राफट

धनराशि	ड्राफट नम्बर	दिनांक
5,73,183/-रूपये	043130	18-10-2004
5,73,183/-रूपये	043131	18-10-2004
1,43,296/-रूपये	043132	18-10-2004
1,43,296/-रूपये	043133	18-10-2004

18 OCT 2004

03DD 983419

1,43,296/-रूपये	043134	18-10-2004
1,43,296/-रूपये	043135	18-10-2004
5,73,183/-रूपये	043136	18-10-2004

समस्त सातो बैक ड्राफट पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं, तत्काल भुगतान की प्रत्याशा मे और निम्नवत पच्चीस प्रतिशत धनराशि अंकन 11,46,366/-रूपये बैनामा निष्पादन के दिनांक से तीन

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

कार्यालय कोषाधिकारी

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983420

माह उपरान्त के दिनांकित अंकन 1-रूपया नकद व शेष धनराशि निम्नवत सात चैकों द्वारा प्राप्त कर ली है ।

धनराशि	चैक नम्बर	दिनांक
2,86,591/-रूपये	477750	19-01-2005
2,86,591/-रूपये	477751	19-01-2005
71,648/-रूपये	477752	19-01-2005
71,648/-रूपये	477753	19-01-2005

कार्यालय ... कोषाधिकारी
गाज़ियाबाद
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983421

71,648/-रूपये	477754	19-01-2005
71,648/-रूपये	477755	19-01-2005
2,86,591/-रूपये	477756	19-01-2005

समस्त सातो चैक्स पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं, और मालियति की शेष कुल पच्चीस प्रतिशत धनराशि अंकन 11,46,366/-रूपये का भुगतान इस बैनामा निष्पादन के दिनांक से छः माह उपरान्त के दिनांकित निम्नवत सात छः द्वारा प्राप्त किया :

कार्यालय ... गाज़ियाबाद
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983422

धनराशि	चैक नम्बर	दिनांक
2,86,591/-रूपये	477757	19-04-2005
2,86,591/-रूपये	477758	19-04-2005
71,648/-रूपये	477759	19-04-2005
71,648/-रूपये	477760	19-04-2005
71,648/-रूपये	[redacted]	19-04-2005

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983423

71,648/-रूपये	477762	19-04-2005
2,86,591/-रूपये	477763	19-04-2005

समस्त सातो चैक्स पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के है,

विक्रय भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि हेतु बय है, दो फसली है सिंचाई

का साधन बराबर के खेत के नलकूप से है । इस समय विक्रय कृषि

RUPEES 25000 रूपये भारतीय गैर न्यायिक RUPEES 25000 रूपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रूपये

RUPEES 25000 रूपये पच्चीस हज़ार रूपये RUPEES 25000 रूपये

सत्यमेव जयते

03DD 983445

भूमि मे कोई फसल नही बोई हुई है, भूमि मौके पर खाली है अन्तिम रूप मे भुगतान होने पर कब्जा प्राप्त करने के बाद क्रेता को सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त कृषि भूमि को विक्रय आदि करे, विक्रय करने का अनुबन्ध करे, इस बैनामे के आधार पर अपना नाम सरकारी, गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कागजातों व विभागो आदि मे दर्ज करावे, काश्त करें, व अन्य कोई कार्यवाही करे, अर्थात जिस प्रकार चाहे अपने मालिकाना हकूक में लाकर लाभ उठावे । हम विक्रेतागण या हमारे वारिसान का विक्रय भूमि से कोई मालिकाना वास्ता या सम्बंध बाकी नही रहेगा । गर्ज है कि यदि विक्रेतागण के अनाधिकार से या

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

14 OCT 2004

कोषाधिकारी

03DD 983446

किसी कानूनी नुक्स ना मालूम के कारण उक्त कृषि भूमि का कुल या कुछ अंश क्रेता उपरोक्त के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जावेगा तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली कृषि भूमि की समस्त धनराशि मये ब्याज व हर्जे खर्च आदि के विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें वसूल करले । कोई आपत्ति नही होगी । यदि बैनामा की तिथि और अंतिम चैक के भुगतान के बीच समय में यदि किसी सरकारी संस्था द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण इससे प्रभावित नही होगा तथा समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष क्रेता की होगी चैक का भुगतान क्रेता द्वारा नही रोका जायेगा

18

15147+3 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

656852

तथा मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार क्रेता को होगा । उक्त भूमि ग्राम समाज, पट्टे, भूदान अथवा वक्फ की नही है । विक्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से नही है । पूर्व में कोई अनुबन्ध पत्र पंजीकृत नही है । उपरोक्त सभी चैकों के भुगतान के तत्काल पश्चात द्वितीयपक्ष क्रेता भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेगा । इससे

1000Rs.

399022

पूर्व भूमि पर प्रथमपक्ष का ही कब्जा बना रहेगा । समस्त चैकों का भुगतान होने तक द्वितीयपक्ष क्रेता बैनामा होने पर अपने हक में अमल दरामद नही करायेगा । अगर अमल दरामद कराता है तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण को पूर्ण अधिकार होगा कि वह आपत्ति देकर अमल दरामद रूकवा दे । इसमें द्वितीयपक्ष क्रेता को कोई आपत्ति नही होगी, बल्कि सहमति समझी जायेगी । चैकों के भुगतान के लिये निर्धारित अंकित तिथि के एक सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वारा बैंक के नियमानुसार चैकों के भुगतान प्रस्तुत न करके भुगतान प्राप्त

1000Rs.

399025

नही किया जाता है तो उसकी पुर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण की होगी । इस प्रकार की स्थिति आने पर द्वितीयपक्ष क्रेता अन्तिम चैक में भुगतान के लिए निर्धारित अंकित तिथि के तत्काल बाद उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेगा । उक्त चैको के भुगतान के लिए निर्धारित अंकित तिथि के एक सप्ताह के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रेतागण को बैंक से बैंक के नियमानुसार चैक प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान प्राप्त नही होता है अथवा चैक किसी भी कारणवश अनादृत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वितीयपक्ष क्रेता को चैक आदृत कराने के लिये एक सप्ताह का अवसर देगा । यदि द्वितीयपक्ष क्रेता एक सप्ताह में भुगतान नही कराता है तो दोनो पक्षो के मध्य निष्पादित यह बैनामा

19 OCT 2004

कोषाधिकारी

3990[illegible]

रद्द माना जायेगा तथा द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा प्रथमपक्ष विक्रेतागण को बैनामे के समय दी गई 50 प्रतिशत अथवा प्रथमपक्ष विक्रेतागण को प्राप्त समस्त धनराशि जब्त हो जायेगी ।

500Rs.

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर

50 Rs.

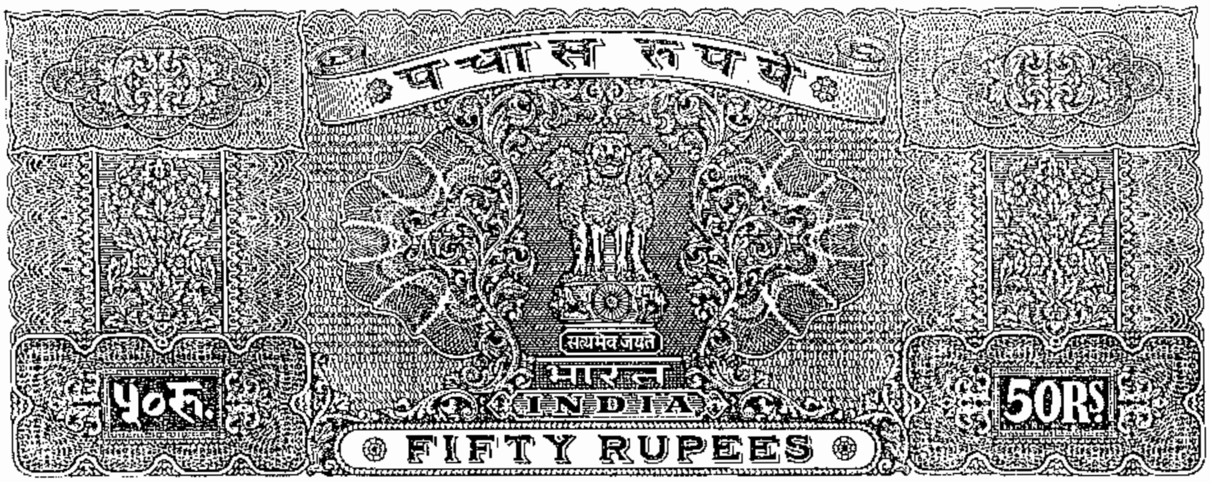

काम आवे । यह बैनामा विक्रेतागण के पिछले कागजात व विक्रेतागण व क्रेता के बताये अनुसार लिखा गया है ।

कृषि भूमि प्लान खसरा नं0 1036/4, 1037/1 व 1038/2 स्थित ग्राम डूडाहेड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0)

विक्रय रकबा = 1.5.81 एकड़ या = 0.640 हे0

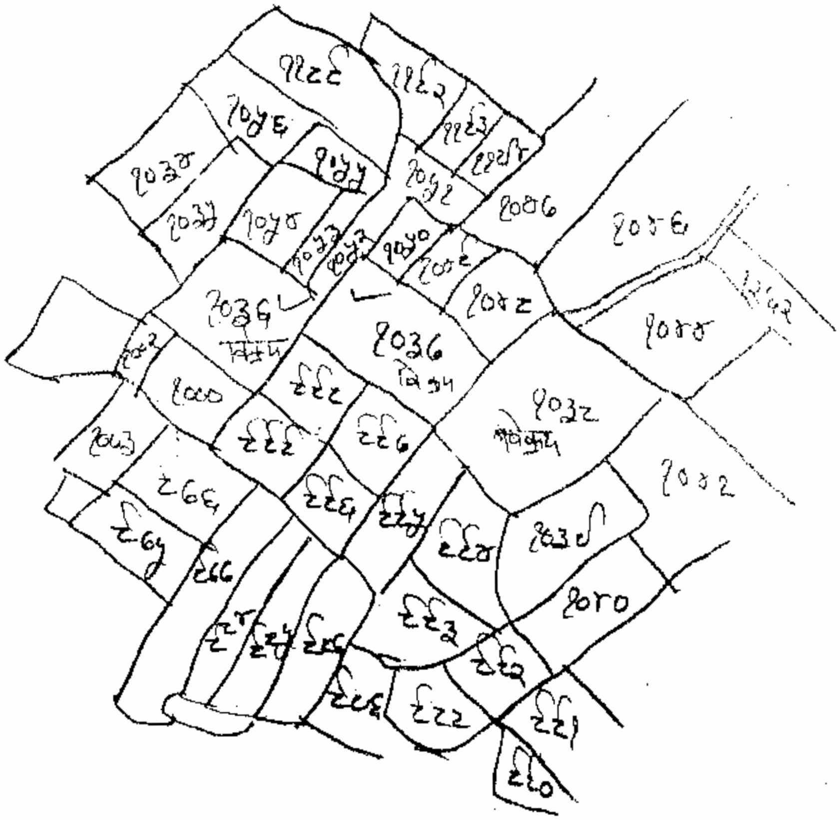

कृषि भूमि प्लान

[illegible]

MANOJ SHARMA
Architects, [illegible] Valuers
Int. Designer [illegible] Reg. No. 54
ARCHITECT [illegible] COMBINE
CH. NO. 85, TEHSIL COMP. GZB.
PH.: R-2786133, M-9811504899

ह0 क्रेता ह0 विक्रेता

50 Rs.

५०रु. सत्यमेव जयते भारत INDIA 50RS

FIFTY RUPEES

हस्ताक्षर विक्रेतागण

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह नं0 1 गवाह नं0 2

दिनांक 19-10-2004 मसौदा वीरेन्द पाल सिंह एडवोकेट चेम्बर नम्बर-56, तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद ।

वीरेन्द्र पाल सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

19 OCT 2004

क्रम संख्या 71 .... की तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का ... प्रेम सेठी ... द्वारा B-42 ... नई दिल्ली द्वारा ...

स्टाम्प ...

....

... 50/-

संजय कुमार शर्मा स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं० 33

लाइसेंस की ... की तिथि 31-3-05

अधिकृत ... चैम्बर नं० 24,

तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

बही नं० 1 जिल्द नं० 5794 ... 72 ... 128 ... 5130

को आज दिनांक 19/10/04 ... गया।